o/c

प्रेषक,

अनिल कुमार खरवार,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–20, कानपुर नगर
ID- UP 6500

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

द्वाराः माननीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर

विषयः श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा वार्षिक प्रविष्टि 2019–2020 के उन्नयन (Upgradation) के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–20, कानपुर नगर के पद पर कार्यरत है तथा दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.07.2019 तक अपर लघुवाद न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, दिनांक 01.08.2019 से दिनांक 17.08.2019 तक सिविल जज वरिष्ठ वर्ग, दिनांक 18.08.2019 से दिनांक 20.08.2019 तक विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा दिनांक 21.08.2019 अपरान्ह से दिनांक 31.03.2020 तक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–20, कानपुर नगर के पद पर कार्यरत रहा। प्रार्थी को 01.04.2019–31.03.2020 के कार्यो के सम्बन्ध में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि सम्बन्धी जानकारी माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट e-services के माध्यम से प्राप्त हुई है।

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय, कानपुर नगर द्वारा प्रार्थी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य निवेदन करने की याचना प्रार्थी कर रहा हैः–

1. प्रार्थी द्वारा अपना स्व–मूल्यांकन प्रलेख के बिन्दु सं0–2 में अपेक्षित कुल कार्य 1200 यूनिट किये जाने की आवश्यकता थी, जबकि प्रार्थी द्वारा कुल **1466** यूनिट का कार्य किया गया है।
2. प्रार्थी द्वारा 10 वर्ष से अधिक **20 प्राचीन** मुकदमे तथा 5 वर्ष से अधिक **64 प्राचीन** मुकदमे निर्णीत किये गये तथा गुण–दोष के आधार पर कुल **94** वाद निर्णीत किये गये हैं।
3. प्रार्थी द्वारा लोक अदालत/वैकल्पिक विवाद प्रणाली के माध्यम से कुल 5 वाद निर्णीत किये गये हैं।
4. प्रार्थी की प्रशासनिक कार्य क्षमता, महिलाओं के प्रति आदर एवं संवेदनशीलता एवं वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारीगण के साथ सम्बन्ध तथा बार

14.10.20

Scanned with CamScanner

एवं पब्लिक के साथ कार्य में निष्पक्ष होने सम्बन्धी रीमार्क में श्रीमान् जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वयं किया गया है।

5. श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा विभिन्न कॉलमों में निम्नलिखित रीमार्क दिये गये हैं, जिनके विरुद्ध उन्नयन आवेदन दिये जाने की आवश्यकता हुई, जिनका आधार निम्नवत् है:-

A) कॉलम सं0 1(E)(iv) "Progress and disposal of execution cases" में चार इजराय वाद अन्यथा (Non Contested) का अंकन किया गया है, जबकि मेरे द्वारा दिनांक 01.04.2019 से 31.07.2019 तक अपर लघुवाद न्यायाधीश, कक्ष सं0-1 के पद पर रहते हुए **9 इजराय वाद पूर्ण सन्तुष्टि के आधार पर भी निस्तारित किये गये हैं** तथा दिनांक 21.08.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-20 के पद पर रहते हुए भी **चार इजराय वाद निस्तारित किये गये हैं।**

B) कॉलम सं0 1(E)(vii) के सम्बन्ध में यह निवेदन है कि मेरे द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-20 का कार्यभार दिनांक 21.08.2019 को ग्रहण किया गया था, जिस समय उक्त न्यायालय रिक्त था तथा श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के **प्रशासनिक आदेश दिनांकित 26.08.2019** के द्वारा मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियॉ मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण, कानपुर नगर में स्थानान्तरित कर दी गयी थी, जिस कारण मेरे न्यायालय में कोई भी मोटर दुर्घटना याचिका मेरे कार्यकाल के दौरान लम्बित नहीं रही थी।

C) कॉलम सं0 1(F)(iii) Application of Law 'Satisfactory' अंकन करने के स्तर पर निवेदन है कि मेरे द्वारा स्व-मूल्यांकन के सम्बन्ध में संलग्न किसी भी निर्णय पर कोई विपरीत टिप्पणी श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा नहीं की गई है एवं मेरे द्वारा पारित किये गये सभी निर्णय सम्बन्धित कानूनों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि सिद्धान्तों के अनुरूप ही किये गये हैं।

D) कॉलम सं0 1(K) के सम्बन्ध में मेरे द्वारा निवेदन है कि प्रथम त्रैमास में त्रैमासिक निरीक्षण मेरे द्वारा अपर लघुवाद न्यायाधीश, कक्ष सं0-1 के रूप में दिनांक 25.05.2019 को किया गया, जिसको श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में दिनांक 29.07.2019 को प्राप्त कराया गया था तथा दिनांक 22.07.2019 को अपर लघुवाद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय में दिनांक 07.08.2019 को प्राप्त करा दिया गया था, परन्तु उक्त दोनों निरीक्षणों के बाबत स्व-मूल्यांकन के कॉलम में कोई अंकन नहीं है, जिससे

14.10.20

Scanned with CamScanner

कि उसका उल्लेख किया जाए। मेरे द्वारा कार्यालय का समुचित निरीक्षण पूर्ण एवं प्रभावी रूप से किया गया है एवं मेरे द्वारा किये गये किसी भी निरीक्षण के बाबत भी श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी विशिष्ट टिप्पणी अथवा कमी का उल्लेख किसी भी निरीक्षण में नहीं किया गया है।

E) श्रीमान् जनपद न्यायाधीश द्वारा मासिक गोष्ठी फरवरी, 2020 में मेरे द्वारा किये गये कार्य के बाबत **'Appreciable'** (प्रशंसनीय) टिप्पणी का अंकन भी किया गया है।

F) अतः उपरोक्त तथ्यों एवं प्रार्थी के कार्य, व्यवहार एवं आचरण को दृष्टिगत रखते हुए 'Satisfactory' रीमार्क को विचार में लेते हुए सम्मान प्रार्थना है कि 'Over all good' को किसी अन्य उच्चतम श्रेणी में करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें, जिससे समग्र आकलन के समक्ष अंकित 'Good Remark' उच्चतम श्रेणी में आ सके। माननीय महोदय जी की महान महती कृपा होगी।

प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

ससम्मान सादर प्रेषित

भवदीय,

दिनांकः 14.10.2020

14.10.20

(अनिल कुमार खरवार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–20 कानपुर नगर

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर

पत्रांकः 1716/I दिनांकः कानपुर नगर : 14, अक्टूबर, 2020

माननीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर

14 OCT 2020
जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर

Scanned with CamScanner